

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न उपयोग की गैर
आवासीय सम्पत्तियों को
E-AUCTION
के द्वारा प्राप्त करने के सम्बन्ध में
संशोधित सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत गैर आवासीय श्रेणी में विभिन्न उपयोग की सम्पत्तियों को e-Auction से प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 29-07-2024 से 05-08-2024 तक की अवधि का प्रोग्राम समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था तथा प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर अपलोड किया गया था।

e-auction में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक आवेदकों की माँग पर emd जमा करने अवधि दिनांक 04-08-2024 समय 10.00 बजे से दिनांक 11-08-2024 की रात्रि 23.59 बजे तक बढ़ा दी गयी है तथा दिनांक 29-07-2024 से दिनांक 11-08-2024 तक emd जमा करने वाले आवेदकों के मध्य e-Auction दिनांक 05-08-2024 के स्थान पर दिनांक 12-08-2024 एवं दिनांक 13-08-2024 को निम्नानुसार event id पर समय पूर्वान्ह 10.00 बजें से सांय 19.00 बजें तक होगी जिनका विवरण निम्नवत् है

Event id for e-Auction dt. 12/08/2024	Event id for e-Auction dt. 13/08/2024
29666, 29668, 29669, 29670, 29671, 29676, 29677, 29678, 29679, 29680, 29681, 29682, 29683, 29684, 29685	29654, 29656, 29657, 29658, 29659, 29660, 29661, 29662, 29663, 29664, 29665, 29672, 29673, 29674, 29675

उपरोक्त दिनांक को सम्पन्न होने वाली e-Auction में 20 मिनट की समयवृद्धि असीमित रहेगी। दिनांक 29-07-2024 से 13-08-2024 तक का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in के e-auction लिंक पर उपलब्ध है।

सचिव।

उपाध्यक्ष।

Amended Program for e-auction

1. Payment Start Date: 29-07-2024 : 10:00 AM (Monday)
 2. Payment End Date: 11-08-2024 : 23:59 PM (Sunday)
 3. Auction Start Date: 12-08-2024 10:00 AM (Monday)
 4. Auction End Date: 12-08-2024 19:00 PM (Monday)
 5. Auction Start Date: 13-08-2024 10:00 AM (Tuesday)
 6. Auction End Date: 13-08-2024 19:00 PM (Tuesday)
- {Unlimited Auto extension of 20(Twenty) minutes Interval will be available if required}

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

e-Auction विवरण पुस्तिका

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हेल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राइमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

(दिनांक 29-07-2024 से 11-08-2024 तक)

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 1180/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य ₹ 1,000/- + 18 प्रतिशत GST ₹ 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम गुप हाउसिंग, गुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हेल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को **e-Auction** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

2. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—

(1) गैर आवासीय सम्पत्तियों (शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर) हेतु—

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0।

(झ) पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।

(2) शैक्षिक भूखण्डों हेतु—

(अ) रजिस्टर्ड सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

- (ब) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (स) ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/बिना रजिस्टर्ड)।
- (द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।
3. आवेदक को e-Auction में सफल घोषित होने (आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने) के पश्चात् निम्नलिखित अभिलेख प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने होंगे:-
- (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निधारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।
 - (4) आधार कार्ड की सम्पूर्ण स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कौन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
4. प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनांक को e-Auction Programme में आमन्त्रित है।
5. e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Documebtr Fee) रुपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा।
7. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते

से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, के सापेक्ष करना होगा।

8. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित करने की दशा में वापसी की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
10. e-Auction के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें किसी भी दशा में कम/वापस नहीं लिया जा सकेगा।
11. e-Auction में भाग लेने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात् e-Auction में भाग लेने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा करानी होगी।
12. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. शैक्षिक भूखण्डों के सफल आवेदकों को तकनीकी ऑफर के साथ, विवरण पुस्तिका, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख के अनुसार रुपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र व प्राधिकरण पक्ष में परीक्षण शुल्क अंकन रुपये 1,000/- जमा की रसीद आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने पर प्राधिकरण कार्यालय में पृथक से जमा करनी होगी।
14. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु **On line paid** EMD ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के **On line** शिक्षण संस्था के खाते में वापस कर दी जायेगी।

15. ऐसे आवेदकों-समितियों/ट्रस्ट की जिनके पक्ष में शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो अथवा किसी भी किश्त की देयता पर शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो, जमा धरोहराशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
16. यदि कोई आवंटी शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त कराना चाहे अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी किश्त की बकायादारी पर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो धरोहर राशि (EMD) जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में **15%** की कटौती करते हुए उनकी जमा धनराशि वापस की जायेगी।
17. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त दुकानों की तालिका के अन्तिम कॉलम में दुकान के मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक दुकान के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है, के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे।
18. e-Auction के सफल आवेदकों को, e-Auction के प्रोग्राम से डाउनलोड की गयी विवरण पुस्तिका आवंटन कम किश्त जारी दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर समस्त स्वः हस्ताक्षरित प्रपत्रों सहित (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
19. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
20. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम दर देने वाले आवेदक/e-Auction पद्धति से उच्चतम दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि (EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
21. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन/दुकान के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से भुगतान करेगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु

प्रतिभाग करने के लिये आवेदकों का अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक डोकुमेन्ट फीस व पृथक-पृथक EMD जमा करनी होगी।

22. e-Auction में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक आवेदक को e-Auction के नियत दिनांक को उनके नाम की विशिष्ट पहचान कम्प्यूटर द्वारा दी जायेगी।
23. हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को e-Auction में भाग लेने के लिये आवेदक एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
24. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, "भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित मूल्य" पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति "भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित मूल्य" पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आवेदकों द्वारा स्वयं चालान के माध्यम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 **AAALM0124D** पर निर्धारित समय अवधि (आवंटन-कम-किश्त निर्गत दिनांक से 30 दिन के अन्दर) में ही जमा कराते हुए चालान की प्रति/रसीद प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। सम्पत्ति के आवंटन-कम-किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, सफल आवेदकों द्वारा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (**Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679**) में अथवा एच0डी0एफ0सी0बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (**Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911**) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

25. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों, दुकान आदि का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत **(100%)** भुगतान करने पर आवंटन दर से आंकलित मूल्य पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
26. मेरठ विकास प्राधिकरण से e-Auction पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस0एस0आई0 यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
27. (1) प्रतिभागी द्वारा e-Auction में दी गयी उच्चतम दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में **13.00%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का **16.00%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।
- (2) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटितों को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष भूखण्ड की जमा EMD धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी दिनांक से 01 माह की अवधि के अन्दर तथा भूखण्ड की शेष **75%** धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में **13.00%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली वार्षिक किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से एक वर्ष में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 4 वार्षिक किश्तें एक-एक वर्ष के अन्तराल पर देय होगी। देय धनराशि/देय किश्तें

विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16.00% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

- (3) यदि शैक्षिक भूखण्ड के आवंटन द्वारा भूखण्ड का आवंटन निर्गत होने पर भूखण्ड की जमा EMD धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध **25%** धनराशि के बजाय कुल देय प्रीमियम का भुगतान अर्थात् शत प्रतिशत **(100%)** भुगतान पर आवंटन दर से आंकलित मूल्य पर 5 (पाँच) प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (4) सम्पत्ति का आवंटन-कम-किश्त पत्र निर्गत होने के साथ-साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
28. e-Auction का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक दशा में एक माह की अवधि में जमा होने वाली नियत धनराशि, जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा तथा निरस्तीकरण के दिनांक के दो माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) निरस्त सम्पत्ति के पुर्नबहाली हेतु प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करता है, तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि प्रत्येक दशा में जब्त कर ली जायेगी।
29. शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का **25%** धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी।
30. शैक्षिक, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण दिनांक के दो माह के अन्दर सम्पत्ति की पुर्नबहाली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार पुर्नबहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद	प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय
----	---------------------------------	---

सं०-०८	सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	लिया गया— (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय। (2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।
--------	---	--

31. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के आवंटी को **10%** लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त पट्टा विलेख पंजीकृत कराकर कब्जा दिया जायेगा।

(ब) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति के किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स, बारातघर व बैंकवट हाल के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय 90 वर्ष की अवधि हेतु

भूखण्ड मूल्य का **10%** लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष नियम शर्त अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

(य) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर भूखण्ड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि, 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का **10%** लीजरेन्ट की धनराशि, पानी सीवर चार्ज, दस्तावेज शुल्क, यदि भूखण्ड कॉर्नर का है तो भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज, भूखण्ड मूल्य+कॉर्नर चार्ज पर देय 10 प्रतिशत लीजरैन्ट की धनराशि जमा कराकर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। शैक्षिक भूखण्ड के पट्टा विलेख के निष्पादन के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। शैक्षिक भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् शैक्षिक भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(र) शैक्षिक भूखण्ड के आवंटियों को राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

32. शैक्षिक भवन का निर्माण:-

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

33. शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधि:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 3 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का 15% कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

34. शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग:-

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. कर आदि की देयता:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

36. प्रबन्ध समिति:-

प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होंगे।

37. प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-5-2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50% छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तदनुसार आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति /ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम निविदा/नीलामीदाता/आवंटी- समिति/ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

38. शैक्षिक भूखण्डों के सफल आवेदकों को “निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” अधीन वर्तमान में लागू शासनादेश एवं भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

39. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

40. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम दर का 10% कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।
41. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्ज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
42. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
43. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
44. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
45. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
46. परिसम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है, जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
47. अन्य शर्तें—

(1) मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर एवं लोहिया नगर योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाएँ नगर निगम को हस्तान्तरित हैं। नगर निगम को हस्तान्तरित सभी योजनाओं की सभी सम्पत्तियों की आवासीय दरें मा10 बोर्ड के निर्णयानुसार जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित दरें लेकर नियमानुसार गैर आवासीय सम्पत्तियों की आरक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं। शताब्दी नगर एवं लोहिया नगर योजना जो नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित नहीं है, की आवासीय दरें मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हैं, से लेकर नियमानुसार गैर आवासीय सम्पत्तियों की आरक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं। सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य में नियमानुसार कार्नर एवं पार्क चार्ज शामिल किया गया है।

(2) **e-Auction** की प्रक्रिया में प्रथम बार शामिल सभी सम्पत्तियों की **e-Auction** में कम से कम 03 बिडर का होना अनिवार्य है तथा प्रथम बिड के पश्चात् शासन की गाईड लाईन्स 2001 के अनुसार कम से कम 02 बिडर का होना अनिवार्य है। म.।नबजपवद में उच्चतम् दरदाता ;भूहीमेज इपकमतद्ध को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(3) **e-Auction** में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(4) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) से वसूल की जायगी। सम्पत्ति पर प्राधिकरण का उक्त बकाया के क्रम में प्रथम अधिकार होगा।

(5) नीलामी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकरण सचिव/प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को बिना कारण बताये **e-Auction** पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को **e-Auction** से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

(6) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(7) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(8) आवंटित परिसम्पत्तियों पर विक्रय विलेख /कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व यदि सम्पत्ति के क्षेत्रफल में कोई कमी/वृद्धि होती है तो आवंटी को तदनुसार वृद्धि की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि की अदायगी करनी होगी।

(9) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।

(10) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

आवेदक का
फोटोग्राफ

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पति का नाम

मो०नं० व

Email id :

पता

.....

.....

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)
शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अर्हताओं का मूल्यांकन-

क्र०
सं०

वांछित प्रपत्र

1. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों की चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट की प्रति संलग्न करें।
5. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिविङ्ग असेस्ट्स) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें-

शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत स्टाफ आदि का विवरण

क्र० सं०	कार्यरत शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत अन्य स्टाफ

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज एवं मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट” की स्थापना के लिये तकनीकी ऑफर का प्रारूप

1. योजना का नाम
 सैक्टर व पॉकेट व आवेदित भूखण्ड सं०
 क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(यदि आवेदनकर्ता-समिति/ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग-अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो

2. समिति/ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति/ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है—
3. आवेदनकर्ता समिति/ट्रस्ट का नाम
4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है—रजिस्टर्ड सोसायटी/रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण
- (ख) पंजीकरण संख्या व रजिस्ट्रेशन का वर्ष
 पंजीकरण/नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक से दिनांक तक
- (ग) समिति/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:—
- (घ) समिति/ट्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर: कार्यालय फैक्स
- (ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पते, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते

(कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)

5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रुपये 1,000/- का विवरण —बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-ऑर्डर संख्या जारीकर्ता बैंक का नाम
6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रुपये 1,000/- अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
7. जमा धरोहर राशि का विवरण:— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-ऑर्डर संख्या दिनांक ... रुपये जारीकर्ता बैंक का नाम
8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :-
(इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित है:—

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:-
11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है
12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है
13. अन्य विवरण:-

नोट:-

- (1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।
- (2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।
- (3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।
- (4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-आर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायेंगे।

घोषणा:-

मैंने पंजीकरण हेतु दी गयी समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मान्य हैं।

.....
आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

X-X-X-X-

Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESE RVE RATE PER SQM.	RESERVE VALUE IN RUPEES	EMD IN RUPEES	MINIMU M PER SQM BID for Auction
PALLAVPURAM SCHEME		HOUSINGH						
1	H	CON.SHOP	450.00	Commercial	48400	21780000	2178000	484
2	I	CON.SHOP	550.00	Commercial	48400	26620000	2662000	484
GANGA NAGAR HOUSINGH SCHEME		HOUSING						
3	B	C-02	1500.00	Commercial	62000	93000000	9300000	620
4	B	C-03	1500.00	Commercial	62000	93000000	9300000	620
5	B	C-04	1583.30	Commercial	68200	107981060	10798106	682
6	B	LMCC-01	1511.15	COMMUNITY CENTER	31200	47147880	4714788	312
7	CP	CP-03	5588.00	Commercial	76800	429158400	42915840	768
8	CP	CP-05	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
9	CP	CP-06	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
10	CP	CP-07	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
11	CP	CP-08	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
12	CP	CP-09	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
13	I	Health CENTRE	500.00	Health CENTRE	21450	10725000	1072500	215
14	I	C-1	240.00	Commercial	42900	10296000	1029600	429
15	I	C-2	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
16	I	C-3	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
17	I	C-4	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
18	I	C-5	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
19	J	C-1	2500.00	Commercial	42000	105000000	10500000	420
20	H	POST OFFICE	700.00	POST OFFICE	32175	22522500	2252250	322
21	H	LMNH-01	617.30	NURSING HOME	33120	20444976	2044498	331
22	H	LMNH-02	617.30	NURSING HOME	27600	17037480	1703748	276
23	K	C-1	800.00	Commercial	46800	37440000	3744000	468
24	K	LMCC-01	1513.25	COMMUNITY CENTER	33120	50118840	5011884	331
25	K	LMNH-01	880.47	NURSING HOME	33120	29161166	2916117	331
26	K	LMNH-02	872.85	NURSING HOME	30360	26499726	2649973	304

27	M	C-1	400.00	Commercial	46800	18720000	1872000	468
28	N	C-2	530.00	Commercial	46800	24804000	2480400	468
29	NP	C-4/1	4089.50	Commercial	46800	191388600	19138860	468
30	NP	C-4/2	4089.50	Commercial	46800	191388600	19138860	468
31	P	CON.SHOP	1125.00	Commercial	42900	48262500	4826250	429
32	P	LMCC-01	1557.33	COMMUNITY CENTER	23400	36441522	3644152	234
33	P	LMNH-01	692.91	NURSING HOME	21450	14862920	1486292	215
34	P	LMCP-01	1543.12	COMMERCIAL	42900	66199848	6619985	429
35	P	LMCP-02	1882.86	COMMERCIAL	42900	80774694	8077469	429
GANGA NAGAR (GANGA ENCLAVE)								
36	GN EN EX	LMPPCNG	660.90	CNG/PETROL PUMP	76800	50757120	5075712	768
37	GN EN EX	LMCP-1	356.42	Commercial	76800	27373056	2737306	768
38	GN EN EX	LMCP-2	519.37	Commercial	76800	39887616	3988762	768
39	GN EN EX	LMCP-3	687.81	Commercial	76800	52823808	5282381	768
40	GN EN EX	LMCP-4	793.72	Commercial	84480	67053466	6705347	845
41	GN EN EX	LMCP-5	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
42	GN EN EX	LMCP-6	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
43	GN EN EX	LMCP-7	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
44	GN EN EX	LMCP-8	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
45	GN EN EX	LMCP-9	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
46	GN EN EX	LMCP-10	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
47	GN EN EX	LMCP-11	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
48	GN EN EX	LMCP-12	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
49	GN EN EX	LMCP-13	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
50	GN EN EX	LMCP-14	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
51	GN EN EX	LMCP-15	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
52	GN EN EX	LMCP-16	378.16	Commercial	39000	14748240	1474824	390
53	GN EN EX	LMCP-17	120.00	Commercial	42900	5148000	514800	429
54	GN EN EX	LMCP-18	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
55	GN EN EX	LMCP-19	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390

56	GN EN EX	LMCP-20	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
57	GN EN EX	LMCP-21	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
58	GN EN EX	LMCP-22	120.00	Commercial	39000	4680000	468000	390
59	GN EN EX	LMCP-23	120.00	Commercial	42900	5148000	514800	429
60	GN EN EX	LMCP-24	483.98	Commercial	84480	40886630	4088663	845
GANGA NAGAR HOUSING HOUSINGH SCHEME								
61	V	C-1/2	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
62	V	C-2	3248.70	Commercial	46200	150089940	15008994	462
63	V	LMCSP-1	146.78	Commercial	42900	6296862	629686	429
64	V	LMCSP-2	149.47	Commercial	41360	6182079	618208	414
65	V	LMPPCNG	650.88	CNG/PETROL PUMP	38999	25383604	2538360	390
66	X	LMCP-01	638.00	Commercial	42900	27370200	2737020	429
67	X	LMCP-02	350.00	Commercial	39000	13650000	1365000	390
68	W	W/C-1/1	1072.49	Commercial	46200	49549038	4954904	462
69	W	W/C-2/1	434.40	Commercial	43200	18766080	1876608	432
70	W	W/C-2/2	900.00	Commercial	43200	38880000	3888000	432
71	W	W/C-2/3	914.87	Commercial	43200	39522384	3952238	432
72	W	W/C-2/4	251.28	Commercial	39000	9799920	979992	390
73	W	W/C-2/5	144.00	Commercial	39000	5616000	561600	390
74	W	W/C-2/6	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
75	W	W/C-2/7	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
76	W	W/C-2/8	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
77	W	W/C-2/9	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
78	W	W/C-2/10	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
79	W	W/C-2/11	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
80	W	W/C-2/12	144.00	Commercial	42900	6177600	617760	429
81	W	W/C-2/13	144.00	Commercial	39000	5616000	561600	390
82	W	W/C-2/14	144.00	Commercial	39000	5616000	561600	390
83	W	W/C-2/15	201.67	Commercial	39000	7865130	786513	390
84	W	W/C-2/16	140.47	Commercial	42900	6026163	602616	429

85	W	W/C-2/17	138.35	Commercial	42900	5935215	593522	429
86	W	W/C-2/18	140.30	Commercial	42900	6018870	601887	429
87	W	W/C-2/19	145.81	Commercial	42900	6255249	625525	429
88	W	W/C-2/20	148.82	Commercial	42900	6384378	638438	429
89	W	W/C-2/21	146.93	Commercial	42900	6303297	630330	429
90	W	W/C-2/22	147.52	Commercial	42900	6328608	632861	429
91	W	W/C-2/23	144.25	Commercial	39000	5625750	562575	390
92	W	W/C-2/24	143.15	Commercial	39000	5582850	558285	390
93	W	W/C-2/25	144.62	Commercial	39000	5640180	564018	390
94	W	W/C-2/27	152.76	Commercial	39000	5957640	595764	390
95	W	W/C-2/28	150.66	Commercial	39000	5875740	587574	390
96	W	W/C-2/29	152.52	Commercial	39000	5948280	594828	390
97	W	W/C-2/30	156.38	Commercial	39000	6098820	609882	390
98	W	W/C-3/1	1395.74	Commercial	43200	60295968	6029597	432
99	W	W/C-3/2	1794.16	Commercial	47520	85258483	8525848	475
RAKSAPURAM HOUSINGH SCHEME								
100	1	C-8	3043.00	COMMERCIAL COM GROUP HOUSING	52580	160000940	16000094	526
101	1	C-11	1000.00	Commercial	47800	47800000	4780000	478
102	1	C-2/10	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
103	1	C-2/12	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
104	1	C-2/13	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
105	2	2/BL-2	28239.15	Bulk Land	16921	477834657	47783466	169
106	1	C-2/14	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
107	4	CS	305.00	Commercial	57360	17494800	1749480	574
DR RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSINGH SCHEME								
108	A	LMOP-01	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	48000	17100000	1710000	480
109	A	LMOP-02	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	48000	17100000	1710000	480
110	A	LMOP-03	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	48000	17100000	1710000	480
111	A	LMOP-04	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	52800	18810000	1881000	528
112	A	LMOP-05	262.50	Office CUM RESIDENTIAL	25905	6800063	680006	259

113	A	LMOP-06	262.50	Office CUM RESIDENTIAL	23550	6181875	618188	236
114	A	LMOP-07	262.50	Office CUM RESIDENTIAL	23550	6181875	618188	236
115	A	LMOP-08	262.50	Office CUM RESIDENTIAL	23550	6181875	618188	236
116	A	LMOP-09	262.50	Office CUM RESIDENTIAL	23550	6181875	618188	236
117	A	LMOP-10	262.50	Office CUM RESIDENTIAL	23550	6181875	618188	236
118	A	LMOP-11	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
119	A	LMOP-12	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
120	A	LMOP-13	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
121	A	LMOP-14	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
122	A	LMOP-15	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
123	A	LMOP-16	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	25905	5699100	569910	259
124	A	LMOP-17	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	25905	5699100	569910	259
125	A	LMOP-18	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
126	A	LMOP-19	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
127	A	LMOP-20	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
128	A	LMOP-21	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
129	A	LMOP-22	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
130	A	LMOP-23	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	25905	5699100	569910	259
131	A	LMOP-24	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
132	A	LMOP-25	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
133	A	LMOP-26	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
134	A	LMOP-27	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	25905	5699100	569910	259
135	A	LMOP-28	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	25905	5699100	569910	259
136	A	LMOP-29	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
137	A	LMOP-30	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
138	A	LMOP-31	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	5181000	518100	236
139	A	LMOP-32	220.00	Office CUM RESIDENTIAL	25905	5699100	569910	259
140	A	LMOP-33	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236

141	A	LMOP-34	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
142	A	LMOP-35	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
143	A	LMOP-36	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
144	A	LMOP-37	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
145	A	LMOP-38	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
146	A	LMOP-39	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
147	A	LMOP-40	180.00	Office CUM RESIDENTIAL	23550	4239000	423900	236
148	A	LMOP-41	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
149	A	LMOP-42	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
150	A	LMOP-43	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
151	A	LMOP-44	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
152	A	LMOP-45	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
153	A	LMOP-46	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
154	A	LMOP-47	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	23550	7227495	722750	236
155	A	LMOP-48	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	52800	18810000	1881000	528
156	A	LMOP-49	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	48000	17100000	1710000	480
157	A	LMOP-50	356.25	Office CUM RESIDENTIAL	48000	17100000	1710000	480
158	A	LMOP-51	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
159	A	LMOP-52	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
160	A	LMOP-53	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
161	A	LMOP-54	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
162	A	LMOP-55	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
163	A	LMOP-56	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
164	A	LMOP-57	306.90	Office CUM RESIDENTIAL	24000	7365600	736560	240
165	A	LMECS-01	397.22	ELECT CHARGING STATION	64000	25422080	2542208	640
166	A	LMCP-01	175.10	Commercial	32000	5603200	560320	320
167	A	LMCP-02	190.87	Commercial	31400	5993318	599332	314
168	A	LMCP-03	237.76	Commercial	31400	7465664	746566	314
169	A	LMCP-04	284.65	Commercial	31400	8938010	893801	314
170	A	LMCP-05	310.76	Commercial	34540	10733650	1073365	345
171	B	BC-12	2960.90	Commercial	31400	92972260	9297226	314
172	E	GH-1	4050.00	Group Housing	23550	95377500	9537750	236
173	E	E/C-2	1053.98	Commercial	31400	33094815	3309482	314

174	E	E/C-30	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
175	E	LMNH-01	576.94	NURSING HOME	19200	11077248	1107725	192
176	I	CON.SHOPs	2418.00	Commercial	31400	75925200	7592520	314
177	L	Commr	1650.00	Commercial	31400	51810000	5181000	314
178	L	Bank Post Office	1200.00	Bank Post Office	23550	28260000	2826000	236
179	M	Commr Facilities	1250.00	Commercial	31400	39250000	3925000	314
180	M	Commr	3400.00	Commercial	31400	106760000	10676000	314
181	M	LMNH-01	556.87	NURSING HOME	17270	9617145	961714	173
DEFENCE ENCLAVE HOUSINGH SCHEME								
182	B	BC-08	285.60	Commercial Com Residential	54000	15422400	1542240	540
183	B	BC-13	275.00	Commercial Com Residential	59400	16335000	1633500	594
184	B	BC-14	202.50	Commercial Com Residential	54000	10935000	1093500	540
185	B	BC-17	202.50	Commercial Com Residential	54000	10935000	1093500	540
186	B	BC-19	253.13	Commercial Com Residential	59400	15035922	1503592	594
187	B	BC-20	275.00	Commercial Com Residential	59400	16335000	1633500	594
188	B	BC-24	202.50	Commercial Com Residential	54000	10935000	1093500	540
189	B	BC-27/1	178.23	Commercial Com Residential	54000	9624420	962442	540
190	B	BC-34	303.60	Commercial Com Residential	54000	16394400	1639440	540
191	B	BC-35	359.37	Commercial Com Residential	59400	21346578	2134658	594
192	B	COMMR	2000.00	Commercial	64800	129600000	12960000	648
SARADHAPURI PHASE-2 HOUSINGH SCHEME								
193	A	C-7	150.00	Commercial	55000	8250000	825000	550
194	A	LMNH-01	681.00	NURSING HOME	36850	25094850	2509485	369
195	A	LMECS-01	1001.41	ELECT CHARGING STATION	73700	73803917	7380392	737
196	C	LMCP-01	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670
197	C	LMCP-02	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670
198	C	LMCP-03	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670

199	C	LMCP-04	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670
200	C	LMCP-05	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670
201	C	LMCP-06	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670
202	C	LMCP-07	262.50	Commercial	67000	17587500	1758750	670
203	C	LMCP-08	262.50	Commercial	73700	19346250	1934625	737
204	C	LMCP-09	218.00	Commercial	67000	14606000	1460600	670
205	C	LMCP-10	230.00	Commercial	73700	16951000	1695100	737
206	C	CP-03	3100.00	Commercial	67000	207700000	20770000	670
207	C	CP-03/1	3105.00	Commercial	67000	208035000	20803500	670
208	C	CC-17	148.75	Commercial	47000	6991250	699125	470
209	C	CC-18	148.75	Commercial	47000	6991250	699125	470
210	C	CS-2	254.37	Commercial	51700	13150929	1315093	517
211	D	CS-02	600.00	Commercial	51700	31020000	3102000	517
SANIK VIHAR HOUSING SCHEME								
212	B	CS	1139.00	Commercial	39600	45104400	4510440	396
213	C	LMCS-01	203.00	Commercial	27750	5633250	563325	278
214	C	LMCS-02	208.20	Commercial	33300	6933060	693306	333
215	C	LMCS-03	292.15	Commercial	33300	9728595	972860	333
216	C	LMCS-04	196.41	Commercial	27750	5450378	545038	278
217	C	LMCP-01	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
218	C	LMCP-02	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
219	C	LMCP-03	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
220	C	LMCP-04	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
221	C	LMCP-05	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
222	C	LMCP-06	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
223	C	LMCP-07	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
224	C	LMCP-08	230.34	Commercial	40700	9374838	937484	407
225	C	LMCP-09	230.34	Commercial	40700	9374838	937484	407
226	C	LMCP-10	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
227	C	LMCP-11	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370

228	C	LMCP-12	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
229	C	LMCP-13	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
230	C	LMCP-14	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
231	C	LMCP-15	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
232	C	LMCP-16	230.34	Commercial	37000	8522580	852258	370
233	C	LMCP-17	123.44	Commercial	40700	5024008	502401	407
234	C	LMCP-18	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
235	C	LMCP-19	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
236	C	LMCP-20	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
237	C	LMCP-21	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
238	C	LMCP-22	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
239	C	LMCP-23	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
240	C	LMCP-24	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
241	C	LMCP-25	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
242	C	LMCP-26	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
243	C	LMCP-27	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
244	C	LMCP-28	123.44	Commercial	40700	5024008	502401	407
245	C	LMCP-29	123.44	Commercial	40700	5024008	502401	407
246	C	LMCP-30	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
247	C	LMCP-31	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
248	C	LMCP-32	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
249	C	LMCP-33	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
250	C	LMCP-34	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
251	C	LMCP-35	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
252	C	LMCP-36	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
253	C	LMCP-37	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
254	C	LMCP-38	123.44	Commercial	37000	4567280	456728	370
255	C	LMCP-39	123.44	Commercial	40700	5024008	502401	407
PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME								
256	G	PART-B	212.00	COMMERCIAL	63580	13478960	1347896	636

VED VYASPURI HOUSINGH SCHEME								
257	1	LOCAL SHOPPING	2550.00	Commercial	40000	102000000	10200000	400
258	1	LMCP-01	546.80	Commercial	40000	21872000	2187200	400
259	1	LMCP-02	540.06	Commercial	40000	21602400	2160240	400
260	1	LMCC-01	1511.69	COMMUNITY CENTER	24000	36280560	3628056	240
261	2B	LMCC-01	1519.15	COMMUNITY CENTER	24000	36459600	3645960	240
262	2C	LMCP-01	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
263	2C	LMCP-02	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
264	2C	LMCP-03	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
265	2C	LMCP-04	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
266	2C	LMCP-05	495.00	Commercial	44000	21780000	2178000	440
267	2C	LMCP-06	495.00	Commercial	44000	21780000	2178000	440
268	2C	LMCP-07	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
269	2C	LMCP-08	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
270	2C	LMCP-09	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
271	2C	LMCP-10	495.00	Commercial	40000	19800000	1980000	400
272	3	I.T.P.-1	4153.00	IT PARK	50400	209311200	20931120	504
273	3	I.T.P.-2	9208.00	IT PARK	42000	386736000	38673600	420
274	3	C-15	706.15	Commercial	42000	29658300	2965830	420
275	3	C-16	756.67	Commercial	42000	31780140	3178014	420
276	3	C-19	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
277	3	C-20	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
278	3	C-21	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
279	3	C-22	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
280	3	C-23	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
281	3	C-25	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
282	3	C-26	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
283	3	C-29	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
284	3	C-30	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
285	3	C-31	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400

286	3	C-32	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
287	3	C-33	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
288	3	C-34	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
289	3	C-35	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
290	3	C-36	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
291	3	C-37	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
292	3	C-38	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
293	3	C-39	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
294	3	C-40	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
295	3	C-41	367.50	Commercial	44000	16170000	1617000	440
296	3	C-44	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
297	3	C-45	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
298	3	C-46	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
299	3	C-47	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
300	3	C-48	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
301	3	C-51	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
302	3	C-54	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
303	3	C-56	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440
304	3	C-57	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
305	3	C-58	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
306	3	C-59	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
307	3	C-60	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
308	3	C-61	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
309	3	C-62	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
310	3	C-63	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
311	3	C-64	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
312	3	C-65	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
313	3	C-66	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
314	3	C-67	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
315	3	C-68	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400

316	3	C-69	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440
317	3	C-70	368.70	Commercial	44000	16222800	1622280	440
318	3	C-71	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
319	3	C-72	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
320	3	C-73	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
321	3	C-74	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
322	3	C-75	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
323	3	C-76	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
324	3	C-77	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
325	3	C-78	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
326	3	C-79	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
327	3	C-80	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
328	3	C-81	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
329	3	C-82	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
330	3	C-83	368.70	Commercial	44000	16222800	1622280	440
331	3	C-84	372.30	Commercial	44000	16381200	1638120	440
332	3	C-85	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
333	3	C-86	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
334	3	C-87	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
335	3	C-88	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
336	3	C-89	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
337	3	C-90	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
338	3	C-91	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
339	3	C-92	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
340	3	C-93	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
341	3	C-94	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
342	3	C-95	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
343	3	C-96	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
344	3	C-97	372.30	Commercial	44000	16381200	1638120	440
345	3	C-98	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440

346	3	C-99	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
347	3	C-100	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
348	3	C-101	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
349	3	C-102	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
350	3	C-103	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
351	3	C-104	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
352	3	C-105	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
353	3	C-106	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
354	3	C-107	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
355	3	C-108	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
356	3	C-109	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
357	3	C-110	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
358	3	OF-34	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
359	3	OF-35	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
360	3	OF-36	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
361	3	OF-39	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
362	3	OF-40	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
363	3	OF-41	448.60	Office Use	33000	14803800	1480380	330
364	3	OF-44	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
365	3	OF-46	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
366	3	OF-47	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
367	4B	COMMR	8038.20	Commercial	44000	353680800	35368080	440
368	7-B	GH-03	4497.10	GROUP HOUSING	31500	141658650	14165865	315
369	7-B	GH-04	4965.10	GROUP HOUSING	34650	172040715	17204072	347
370	7-B	COMMR	1811.80	COMMERCIAL	40000	72472000	7247200	400
371	8	CS	529.53	Commercial	40000	21181200	2118120	400
MAJOR DHYANCHAND NAGAR/SPORTS GOODS COMPLEX SCHEME								
372	B	LMCP-34	116.93	Commercial	50600	5916405	591641	506
373	B	LMCP-35	116.93	Commercial	46000	5378550	537855	460
374	B	LMCP-36	116.93	Commercial	46000	5378550	537855	460
375	B	LMCP-37	116.93	Commercial	46000	5378550	537855	460
376	B	LMCP-38	116.93	Commercial	46000	5378550	537855	460
377	B	LMCP-39	116.93	Commercial	46000	5378550	537855	460

378	B	LMCP-40	116.93	Commercial	50600	5916405	591641	506
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME								
379	1-B	LMCP-01	184.25	Commercial	30800	5674900	567490	308
380	1-B	LMCP-02	229.39	Commercial	33880	7771733	777173	339
381	1-B	LMCP-03	229.39	Commercial	33880	7771733	777173	339
382	1-B	LMCP-04	184.25	Commercial	30800	5674900	567490	308
383	1-B	LMCC-01	1417.74	COMMUNITY CENTER	18480	26199835	2619984	185
384	3	Commercial	6656.00	Commercial	30800	205004800	20500480	308
385	4C-A	GH	4223.50	GROUP HOUSING	23100	97562850	9756285	231
386	4C-A	Local Shopping Centre	12152.00	Commercial	30800	374281600	37428160	308
387	4C/B	LMNH-01	630.91	NURSING HOME	16940	10687615	1068762	169
388	4C/B	LMNH-02	630.91	NURSING HOME	15400	9716014	971601	154
389	4C/B	LMCC-01	1650.47	COMMUNITY CENTER	15400	25417238	2541724	154
390	4C-D	C-18	200.00	Commercial	30800	6160000	616000	308
391	4C-D	C-19	250.00	Commercial	30800	7700000	770000	308
392	4C-D	C-20	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
393	4C-D	C-21	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
394	4C-D	C-22	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
395	4C-D	C-23	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
396	4C-D	C-24	250.00	Commercial	30800	7700000	770000	308
397	4C-E	C-10	85.00	Commercial	30800	2618000	261800	308
398	4C-E	C-12	60.00	Commercial	30800	1848000	184800	308
399	4C-G	Conv. Shopping	2100.00	Commercial	30800	64680000	6468000	308
400	4C/J	LMNH-01	617.38	NURSING HOME	15400	9507652	950765	154
401	4C/J	LMCP-01	932.52	Commercial	30800	28721616	2872162	308
402	4C/J	LMCP-02	712.39	Commercial	30800	21941612	2194161	308
403	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.30	Commercial	30800	59545640	5954564	308
404	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1918.20	Commercial	30800	59080560	5908056	308
405	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.10	HOTEL	30800	59539480	5953948	308
406	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1896.30	HOTEL	30800	58406040	5840604	308

GANGA NAGAR HOUSING SCHEME						0	0	0
407	I	PS	3400.00	PRIMARY SCHOOL	19500	66300000	6630000	195
408	W	LMHS/IC-01	4020.66	HIGH SCHOOL/ INTER COLLEGE	19500	78402870	7840287	195
DR RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
109	D	LMDCP-01	9744.42	DEGREE COLLEGE	15700	152987394	15298739	157
410	CP	LMNS/PS-01	1091.09	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	18840	20556136	2055614	188
411	E	LMPS-01	1043.18	PRIMARY SCHOOL	17600	18359968	1835997	176
412	M	LMNS/PS-01	1087.93	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	18840	20496601	2049660	188
VED VYASPURI HOUSINGH SCHEME								
413	3/ITP-1	LMED-01	5238.00	HS/INTER/ EDUCATIONAL	23100	120997800	12099780	231
414	4B	LMHS-01	2064.67	HIGH SCHOOL	22000	45422740	4542274	220
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME						0	0	0
415	4B/B	LMNS/PS-01	1974.00	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	18480	36479520	3647952	185